आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Home Department (Police), Government of Uttarakhand

Uttarakhand Rajya ke Swatantrata Sangram Senaniyon tatha unki Vidhwaon ki Masik / Parivarik Pension (Uttarakhand Freedom Fighters and Widows Monthly Family Pension)

उत्तराखंड राज्य में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं को मासिक पारिवारिक पेंशन देता है।

क्या मिल सकता है

उत्तराखंड के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनकी विधवा को तय मासिक पेंशन मिलती है। जिलाधिकारी की जांच के बाद पेंशन शासन स्तर से स्वीकृत होती है।

किसके लिए है

उत्तराखंड के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाएं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक उत्तराखंड का अधिवासी हो
- आवेदक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या सेनानी की विधवा हो

दस्तावेज़

- स्वतंत्रता सेनानियों के अनुदान और पेंशन से जुड़े 1975 के उत्तर प्रदेश नियमों (उत्तराखंड में लागू) के पृष्ठ 13 से 17 में बताए गए दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

1. जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन का फॉर्म लें।
2. 1975 के नियमों में बताए दस्तावेज लगाकर फॉर्म जिलाधिकारी को दें।
3. जिलाधिकारी जांच कर संस्तुति करते हैं और मंत्री या मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf#page=63
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/2025040717566713.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-freedom-fighter-family-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।